**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2735**

**सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक)**

**ईएसआईसी अस्पतालों की स्थापना संबंधी मानदंड**

**2735. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित चीनी मिलों और अन्य स्थानीय उद्योगों में कार्यरत कामगारों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ईएसआईसी अस्पतालों की स्थापना संबंधी मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का मुजफ्फरनगर जिले में ईएसआईसी अस्पताल खोलने का विचार है जहां चीनी मिलों और अन्य मिलों में 50000 से अधिक कामगार कार्यरत है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ईएसआईसी के मानदंडों के अनुसार किसी क्षेत्र में बीमित व्यक्तियों की जनसंख्या के आधार पर नए ईएसआई अस्पताल स्थापित करने की मंजूरी देता है। मानदंडों के अनुसार, 30 बिस्तरों वाले और 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थान के 25 किलोमीटर के दायरे में क्रमशः 20,000 और 50,000 वर्तमान बीमित व्यक्ति (आईपी) की न्यूनतम संख्या अथवा आगामी 05 वर्षों में आईपी आबादी की इतनी ही संभावित संख्या की आवश्यकता होती है।

दिनांक 31.03.2024 तक मुजफ्फरनगर जिले में बीमित व्यक्तियों की कुल संख्या 15,125 थी।

ईएसआई अधिनियम, 1948 की धारा 2 (19क) के अनुसार, चीनी मिलें मौसमी कारखाने हैं और यह अधिनियम उन पर लागू नहीं होता है। हालाँकि, अधिसूचित क्षेत्रों में संचालित और 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले गैर-मौसमी कारखाने ईएसआई अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अधीन आते हैं।

*****